रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267818
CG-DL-E-19112025-267818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947
No. 769] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 855(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्लिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में, आपत्तियां तथा सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अथवा muktanand.ias08@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाएँ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः** (1) इन नियमों को कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 4 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"ख. गैर-कीटनाशी/औद्योगिक उपयोग के लिए किसी भी कीटनाशी का आयात करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को 5000/- रुपये के निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म 1ए में सभी विवरण सहित आयात परमिट प्रदान करना।

(i) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पर पंजीकरण समिति द्वारा अधिमानतः 45 दिनों की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा, जिसे अधिकतम 15 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। पंजीकरण समिति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की पुष्टि के लिए, जैसा भी मामला हो, जाँच करने का अधिकार होगा।

(ii) आयात परमिट की वैधता एक वर्ष के लिए होगी।

बशर्ते कि जिन आवेदकों के पास उस कीटनाशी के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र हो, जिसके लिए आयातित माल का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाना है, उनके आयात परमिट की वैधता तीन वर्ष होगी।"

3. उक्त नियमों की "प्रथम अनुसूची" में, "फ़ॉर्म I" के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"फ़ॉर्म Iक

गैर-कीटनाशी उपयोग के लिए कीटनाशी के आयात की अनुमति हेतु आवेदन

[नियम 4(ख) देखें]

1. आवेदक का नाम एवं पूरा पता:

2. परिसर का पता, जहां आयातित कीटनाशी का भंडारण या उपयोग किया जाएगा:

3. आयात किये जाने वाले प्रस्तावित कीटनाशी का नाम, न्यूनतम शुद्धता सहित:

4. आयात का स्रोत और पूरा पता:

5. (i) आयातित कीटनाशी का उपयोग करके निर्मित की जा रही वस्तु का नाम:

(ii) निर्मित किये जाने हेतु प्रस्तावित वस्तु की लाइसेंस प्राप्त क्षमता:

(iii) प्रस्तावित निर्मित वस्तु की संस्थापित क्षमता:

(iv) वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में कीटनाशी का कार्य और आवश्यक प्रतिशत:

6. आयात किये जाने वाले प्रस्तावित कीटनाशी की वार्षिक मात्रा (मीट्रिक टन में):

7. वैध औद्योगिक लाइसेंस/अनुमोदन की प्रति (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/प्रमाणित उद्योग के राज्य निदेशक/जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी कारखाना लाइसेंस/ईएम की प्रति संलग्न करें)

[स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें (अंग्रेजी संस्करण के साथ, यदि अंग्रेजी भाषा में नहीं हो) – अनुलग्नक-I]

8. क्या-

(क) वर्तमान वर्ष के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से मंजूरी/सहमति प्राप्त है:

(ख) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है:

(आवेदक द्वारा दिए गए पते पर विनिर्माण सुविधा की मौजूदगी के संबंध में स्व-प्रमाणित कानूनी दस्तावेज़ संलग्न करें। अनुलग्नक-II)

9. पिछले तीन वर्षों के दौरान तैयार उत्पाद के उत्पादन के सापेक्ष आयातित कीटनाशी की खपत का वर्षवार स्व-प्रमाणित विवरण।

[मूल प्रति संलग्न करें - अनुलग्नक III (संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार)]

10. प्रथम बार आवेदन के औचित्य के साथ अनुरोधित मात्रा के लिए स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र, तत्पश्चात आर.सी. निर्णय के अनुसार दावे का सत्यापन।

11. (क) क्या आयातित सामग्री घरेलू खपत या निर्यात या दोनों के लिए है:

(ख) यदि घरेलू खपत के लिए है तो क्षेत्राधिकार वाले औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय द्वारा प्रमाणित यह घोषणा कि अन्य सभी सामग्रियों को विषाक्तता से बचाने के लिए आयातित कीटनाशी को दूर एक अलग कमरे में संगृहीत किया जाएगा।

(ग) यदि निर्यात के लिए है तो, विदेशी क्रेता का नाम और पता, जिसे तैयार उत्पाद निर्यात किया जाना है, अग्रिम लाइसेंस की एक प्रति संलग्न करें, यदि लागू हो।

12. यदि आयात के लिए घोषित मात्रा (क्रम संख्या 9) और पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत खपत (अनुलग्नक-III) में 10% से अधिक का अंतर है तो उच्च मात्रा की संस्तुति करने के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग/राज्य उद्योग विभाग से विस्तृत तकनीकी औचित्य:

13. खरीद एवं खपत का विवरण-

वर्ष (वित्तीय)	*कीटनाशी की मात्रा (मीट्रिक टन में)*		*तद्नुरूपी तैयार उत्पाद*
	आयात किया गया	*खपत किया गया*	
(1)	*(2)*	*(3)*	
कुल मात्रा			
पिछले तीन वर्षों की औसत खपत			

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर,

मुहर सहित

सत्यापन

मैं ………………. पुत्र/पुत्री ……………………….. अपने …………………….. की हैसियत से एतद्वारा सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूं कि मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और आवेदन में दी गई जानकारी तथा इसके अनुलग्नक और कथन सही और पूर्ण हैं। मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि आयातित सामग्री बिक्री के लिए नहीं है बल्कि इस आवेदन में बताई गई हमारी अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए है। मैं स्पष्ट रूप से समझता/समझती हूं कि किसी भी जानकारी या उसके किसी भाग के गलत पाए जाने की स्थिति में, आयात परमिट बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकता है और यह संपूर्ण नुकसान/ज़िम्मेदारी हमारी होगी।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर,

मुहर सहित

नोट:

(i) इस आवेदन में जहां भी उल्लेख किया गया हो, प्रत्येक दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।

(ii) प्रत्येक कॉलम भरें, भले ही सूचना ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ हो।

(iii) सभी प्रासंगिक अनुलग्नक संलग्न करें, भले ही जानकारी 'शून्य' हो।

(iv) आवेदन पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई करके निर्णय लिया जाएगा, अधिमानतः ऑनलाइन पोर्टल पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने से 30 दिनों (आरसी बैठक के अनुसार 4-6 सप्ताह) में।

(v) अपूर्ण आवेदन को बिना किसी पूर्व सूचना के अस्वीकार किया जा सकता है।"

[फा.सं. 13035/11/2019-पीपी-I]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650(अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 567(अ) दिनांक 21 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2025

G.S.R. 855(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 or through email at muktanand.ias08@nic.in .

Draft Rules

1. **Short title and Commencement:** (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 4, after clause (a), following shall be inserted:-

" *b. grant Import Permit to any person desirous to import any insecticides for non-insecticidal/industrial use in the Form IA containing all such particulars along with a prescribed fee of Rs 5000/-.*

(i) The application complete in all respect shall be considered and disposed by the Registration Committee preferably within a period of 45 days which may further extend to a period not later than 15 days. The Registration Committee shall have the power to conduct an enquiry to verify the information submitted by the applicant as the case may be.

(ii) The validity of the Import Permit shall be for one year.

Provided the applicants holding Certificate of Registration for the pesticide for which the imported goods are intended to be used as raw material the validity of the Import Permit shall be three years."

3. In the said rules, in the "FIRST SCHEDULE", after "FORM I, the following shall be inserted, namely:-

"**FORM IA**

Application for Grant of permission for import of Insecticides for non-insecticidal use

[see rule 4(b)]

1. Name of the applicant along with complete address:

2. Address of premises, where the imported insecticide shall be stocked or used:

3. Name of the insecticide proposed to be imported along with the minimum purity:

4. Source of import with complete address:

5. (i) Name of the Item being manufactured using the imported insecticide:

(ii) Licensed Capacity of item proposed to be manufactured:

(iii) Installed Capacity of item proposed to be manufactured:

(iv) Function of the insecticide in the process of manufacture of the item & the % required:

6. Annual quantity (in MT) of the insecticide proposed to be imported:

7. Copy of valid industrial license / approval (enclosed a copy of factory license / EM issued by Department of Industrial Policy & Promotion / State Director of Industry certificated / District Industry Centre

[Attach self-certified copy (along with English Version, If not in English Language)- Annexure-I]

8. Whether-

(a) Clearance / consent from Pollution Control Board (PCB) for the current year:

(b) If no, whether renewal has been applied for current year:

(Attach legal self-certified document for existence of manufacturing facility at the address provided by applicant. Annexure-II)

9. Self-Certified Year-wise quantity of the imported insecticide consumed during the last three years along with corresponding production of end- product.

[Attach in original- Annexure III (as per Performa attached)]

10. Self-Certified affidavit for the quantity requested with justification for first time application thereafter, verification of the claim as per RC decision.

11. (a) Whether the imported material is for Domestic consumption or export or both:

(b) If for domestic consumption then declaration certified by jurisdictional Industrial Health & Safety Office that the imported insecticide shall be stored in a separate room away from all other material to avoid poisoning.

(c) If for export, name & address of foreign buyer to whom the finished product is to be exported, enclosing a copy of the advance license, if applicable.

12. In case the variation in the quantity declared for import (S.No.9) and average consumption during last three years (Annexure III) is more than 10%, detailed technical justification of the Nodal Ministry/ Department/State Department of Industry for recommending higher quantity:

13. Details of purchase & consumption-

Year (Financial)	*Quantity of the Insecticide (in MT)*		*Corresponding Final Product*
	Imported	*Consumed*	
(1)	*(2)*	*(3)*	
Total Quantity			
Average consumption of last three years			

Place :

Date:

Signature of the applicant

with seal

Verification

I………….. D/o or S/o ……………………………in my capacity as ………………………………..do hereby solemnly verify that I am competent to make this application and that the information given in the application and the annexure(s) and statements, accompanying it, are correct and complete. I further undertake that imported material is not for sale but for use as per our own requirement as stated in this application. I clearly understand that in the event of any information, or part thereof, being found incorrect, the import permit shall be liable to be cancelled without any notice and the whole losses/responsibility shall be ours.

Place :

Date:

Signature of the applicant

with seal

Note:

(i) Attach copy of each document, wherever indicated in this application.

(ii) Fill up each column even if the information is ‘Nil’ or ‘Not Application (N.A.)’.

(iii) Attach all relevant Annexure even if the information is ‘Nil’.

(iv) Application shall be processed and decided in a time bound manner preferably in 30 days (4-6 weeks as per RC meeting) from the receipt of complete application form in all respect on online portal.

(v) Incomplete application is liable to be rejected, without prior notice. ”

[F. No. 13035/11/2019-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was last amended *vide* G.S.R 567(E) dated 21st August, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.11.19 22:50:24 +05'30'